संख्या-174/2019/1353/22-2-2018-17(810)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 2019***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री दृगपाल सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27508/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-02-05-2017) दिनांक-31-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री दृगपाल सिंह, निवासी-ताजूखेल, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी को मृतक ऋषिपाल ने घर के पास मकान बनाने हेतु जगह दी थी। बन्दी के पड़ोसियों से सम्बन्ध अच्छे न होने व मोहल्लेवालों की शिकायत पर ऋषिपाल ने दलजीत व दृगपाल से शिकायत की। इसी रंजिश में दिनांक 12.06-2002 को लगभग 10:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर टेलीफोन दफ्तर ड्यूटी हेतु जा रहे ऋषिपाल की तमंचे से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-997/02 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट संख्या-9, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2012 द्वारा उक्त दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.07.2018 तक 16 वर्ष 00 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की है, इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री दृगपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दलजीत सिंह (बन्दी संख्या-17158) पुत्र श्री दृगपाल सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-174/2019/1353(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-174/2019/1353/22-2-2018-17(810)/2017

दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह (बन्दी संख्या-17158) पुत्र श्री दृगपाल सिंह, निवासी-ताजूखेल, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी को मृतक ऋषिपाल ने घर के पास मकान बनाने हेतु जगह दी थी। बन्दी के पड़ोसियों से सम्बन्ध अच्छे न होने व मोहल्लेवालों की शिकायत पर ऋषिपाल ने दलजीत व दृगपाल से शिकायत की। इसी रंजिश में दिनांक 12.06-2002 को लगभग 10:00 बजे 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर टेलीफोन दफ्तर ड्यूटी हेतु जा रहे ऋषिपाल की तमंचे से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-997/02 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0एक्ट, कोर्ट संख्या-9, शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.06.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2012 द्वारा उक्त दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.07.2018 तक 16 वर्ष 00 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 01 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिट्रेट द्वारा समिति की आख्या में की है, इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री दृगपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in